राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांकः वाद / 2022 / 1565

दिनांकः– 14.12.2022

राजस्व आवेदन संख्या 173 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कालूराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 02 जाति मेघवाल निवासी श्रवण नाडी चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. मंगलाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 16 जाति मेघवाल निवासी श्रवणनाडी, चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–श्रवण नाडी पटवार हल्का–चीबी तहसील गिड़ा जिला–बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 213/154 व 153 रकबा 47.05 बीघा व 08 बीस्वा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मौके पर कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांकः वाद / 2022 / 1566-1570

दिनांकः– 14.12.2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण ...
3. प्रार्थी कालूराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 02
4. विप्रार्थीगण मंगलाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.22 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर